सिख गुरूओं ने मानवता की रक्षा के लिए सर्वस्व अर्पित किया - भजनलाल

मुख्यमंत्री ने गुरूनानक प्रकाश पर्व पर ''गुरू ग्रंथ साहिब'' को नमन किया

जयपुर, 24 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर राजापार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को नमन किया, मत्था टेका और प्रदेशवासियों से श्री गुरू



गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख समाज के लोगो ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को तलवार भेंट की। इस दौरान जयपुर महापौर सुनील कोठारी, राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष अजयपाल सिंह, मुख्य ग्रंथी जगजीत सिंह सहित गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारी मौजूद थे।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर स्थित श्री तेग बहादुर साहिब जी तथा अनूपगढ़ स्थित बुड्ढा जोहड़ गुरूद्वारा में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

नानक देव जी के प्रेम, सेवा, समानता और मानवता के बताए मार्ग पर चलने का आव्हान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंधकार और चुनौतियों के दौरान श्री गुरु नानक देव जी ने बिना किसी भय के सत्य का बिगुल बजाया। उनकी हजारों मील की कठिन यात्राओं में दुर्गम बाधाएं आईं, लेकिन वे कभी नहीं रुके। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चुनौतियां होने के बावजूद, एक सच्चे सेवक को घबराए बिना अपने लक्ष्य और समाज के कल्याण के प्रति समर्पित रहना चाहिए।

उन्होंने सिख गुरुओं के त्याग, समर्पण, साहस और बलिदान की महान परंपराओं का स्मरण करते हुए कहा कि सिख गुरुओं ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उन्होंने नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हुए कहा कि धर्म और आस्था की स्वतंत्रता तथा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उनका बलिदान अद्वितीय है। दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन त्याग, वीरता और धर्म की रक्षा का उत्कृष्ट उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिख समुदाय के कल्याण, उत्थान और धार्मिक आस्था से जुड़े स्थलों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में जयपुर स्थित गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब जी तथा अनूपगढ़ स्थित बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिये विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के विद्यार्थियों के छात्रावास हेतु भूमि का आवंटन हो चुका है तथा इसका कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा।

इस दौरान जयपुर महापौर सुनील कोठारी, राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष अजयपाल सिंह, मुख्य ग्रंथी जगजीत सिंह सहित, गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर से फोन पर बात की

नई दिल्ली, 24 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विस्तार के लिए कई नए अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने भारत-जर्मनी संबंधों में लगातार बनी गति और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सम्पर्कों पर संतोष व्यक्त किया।

मोदी और मर्ज ने समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर भी आपसी सहयोग जारी रखने के महत्व पर जोर दिया।

'पूर्व सैनिक को आरएएस भर्ती 2016 में पात्र मानें'

हाईकोर्ट ने आरपीएससी को आदेश दिए हैं कि अगर इनका मैरिट लिस्ट में चयन होता है तो इन्हें प्रमोशन, वेतन वृद्धि और वरिष्ठता का लाभ भी दिया जाए

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 24 नवम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक पूर्व सैनिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और आरपीएससी को आदेश दिए हैं कि वे उसे वर्ष 2016 की आरएएस /आरटीएस भर्ती में पात्र मानें और अगर मैरिट से उसका चयन होता है तो नियुक्ति दें। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अगर चयनित होता है तो उसे उस दिन से नियुक्त माना जाए, जिस दिन उससे कम अंक प्राप्त करने वाले किसी अन्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गई हो। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति के बाद प्रमोशन, वेतन वृद्धि व वरिष्ठता का लाभ भी दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि आरपीएससी इस संबंध में 90 दिन के भीतर कार्रवाई करे। न्यायाधीश गणेशराम मीणा ने ये आदेश शैलेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी.सिंह और उनके सहायक अधिवक्ता आंचल सिंह पैरवी के लिए पेश हुए थे।

- आरएएस भर्ती में ''एक्स सर्विस मैन'' और ''नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज़'' के लिए अलग-अलग अनुभव और आवेदन स्वीकार करने की तारीख रखने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई।
- अदालत ने कहा कि आरपीएससी के नियम मनमाने और भेदभाव वाले प्रतीत होते हैं। इसलिए आरपीएससी पूर्व सैनिक शैलेन्द्र सिंह को पात्र माने और उनके प्रकरण में 90 दिन के भीतर कार्रवाई करे।

मामले के तथ्यों के अनुसार, शैलेन्द्र सिंह शेखावत 31 जुलाई 2016 को सेना से सेवानिवृत हुए थे। उन्होंने आरपीएससी द्वारा आरएएस/आरटीएस भर्ती 2016 के लिए 28 अप्रैल 2016 को जारी विज्ञप्ति में आवेदन किया था। याचिकाकर्ता की अदालत से गुहार थी कि आरपीएससी ने उनकी पात्रता इसलिए रद्द कर दी, क्योंकि आवेदन भरने की आखिरी तिथि 25 जून तक याचिकाकर्ता आर्मी में कार्यरत था, जबकि आरपीएससी ने गैर राजपत्रित कर्मचारी (नॉन गजेटेड एम्प्लाइज़) के आवेदन 1 जनवरी 2017 तक स्वीकार किए थे।

याचिकाकर्ता शैलेन्द्र सिंह का कहना था कि उसे आर्मी में 15 वर्ष का अनुभव है, जो कि आरएएस भर्ती के लिए पात्रता पाने के लिए पर्याप्त है, भर्ती में भाग लेने के लिए ही उन्होंने वीआरएस लिया था। आर्मी ने उनके डिस्चार्ज के आदेश 17 जून 2016 को पारित कर लिए थे, परंतु डिस्चार्ज प्रक्रिया में अनौपचारिक विलंब के कारण उन्हें 31 जुलाई 2016 को आर्मी से डिस्चार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि आरपीएससी एक ही भर्ती में दो तरह के नियम लागू नहीं कर सकती।

जब यह मामला अदालत में लंबित था, तभी आरपीएससी ने आरएएस भर्ती के लिए 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2017 तक इंटरव्यू आयोजित किए थे। अदालत ने याचिकाकर्ता शैलेन्द्र सिंह को राहत देते हुए इंटरव्यू में भाग लेने के आदेश दिए थे, इंटरव्यू के परिणाम 14 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट में पेश किए थे।

इस मामले की सुनवाई के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि आरपीएससी ने एक अतिरिक्त विज्ञप्ति जारी करके अभ्यर्थियों को फॉर्म में बदलाव करके पुन: आवेदन अपलोड करने की छूट 25 जुलाई 2016 तक दी थी। इससे स्पष्ट होता था कि शैलेन्द्र सिंह इस तारीख से मात्र 6 दिन बाद ही सेवानिवृत हो गए थे। उल्लेखनीय है कि भर्ती की लिखित परीक्षा 27 मार्च 2017 को हुई थी, यानी कि याचिकाकर्ता उस दिन सेवानिवृत्त हो चुके थे।

वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी.सिंह की ओर से कहा गया कि एक तरफ आरपीएससी गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए यह नियम लागू कर रही है कि आवेदन फॉर्म दाखिल करने के 4 महीने बाद तक उनके पास परीक्षा में पात्र बनने के लिए कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव हो। दूसरी ओर एक्स सर्विस मैन के लिए पात्रता रखी गई कि 15 वर्ष का अनुभव व आवेदन भरने से पहले सेवानिवृति हो।

उधर आरपीएससी की ओर से कहा गया कि नियम है कि उन्हें आवेदन के आखिरी दिन से पहले ही सेवानिवृत्त होना चाहिए। अदालत ने कहा कि किसी भी भर्ती में अगर किसी भी श्रेणी पर कोई शर्त या नियम लागू किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई तर्कसंगत कारण होना चाहिए और ये श्रेणियां किसी तर्कसंगत तरीके से बनाई हुई होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि आरपीएससी ने ''एक्स सर्विस मैन'' और ''नॉन गजेटेड एम्पलाइज़'' के लिए जो नियम रखे हैं, वे मनमाने और भेदभाव जैसे प्रतीत होते हैं। इसलिए आरपीएससी को याचिकाकर्ता की पात्रता को मानना होगा।

यूपी क पूर्व...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और देशराज अग्रवाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ हजरतगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया। 28 वर्ष तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया और विवेचना के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने मामले की सुनवाई के बाद इसी नवंबर माह तारीख में फैसला सुरक्षित रखते हुए हुए अगली तारीख 24 नवंबर को तय की थीं।

जेनसेन हुआंग की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी अपने कामकाज में पूरी तरह अक्षम और अप्रभावी साबित हुआ है। बोर्ड ने अपने पुराने फैसले को तुरंत पलट दिया और हुआंग का वापस स्वागत किया, तथा खुद ही अपनी पेशेवर क्षमता और कार्यकुशलता पर सवाल खड़े कर दिए।

एक समझदार मैनेजमैंट की मांग यह होती है कि जेनसेन हुआंग की जगह लेने के लिए कोई वैकल्पिक व्यक्ति या कम से कम कुछ संभावित नाम पहले से तैयार होने चाहिए थे। लेकिन उत्तराधिकारी चुनने की ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई थी। बोर्ड के पास न तो कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी था, न ही दूसरी पंक्ति का नेतृत्व, और न ही किसी अन्य संभावित सीईओ के बारे में कोई विचार किया गया था।

यह बोर्ड कई वर्षों से बिना किसी बदलाव के काम कर रहा था, लेकिन इसने कभी अपनी कार्यक्षमता का आकलन नहीं किया। बोर्ड के एक तिहाई सदस्य तो दशकों से अपने पदों पर बने हुए थे। इनमें से एक तिहाई निदेशक ऐसे थे, जो 33 साल से भी अधिक समय से इस पद पर कार्यरत थे।

ये निदेशक, बाज़ार में पहले से मौजूद खिलाड़ियों की कंपनी के स्थापित अधिकारियों की क्षमता की समीक्षा और आकलन करने में भी विफल रहे। ये लोग या तो बहुत अधिक उम्र के थे या फिर हुआंग के एहसानों के तले बहुत ज्यादा दबे हुए थे। ऐसे में सुझाव दिया जा रहा है कि मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स को भंग कर देना चाहिए और उसकी जगह प्रतिष्ठित विशेषज्ञों वाला एक नया बोर्ड गठित किया जाना चाहिए।

जिला प्रमुख : कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बनाने के लिए इन जिलों में बड़े पैमाने पर सेंधमारी करनी पड़ेगी। वहीं, छह जिले -बाड़मेर, भरतपुर, चूरू, डीडवाना-कुचामन और राजसमंद में कांग्रेस के पास बढ़त तो है, लेकिन भाजपा बहुत पीछे नहीं है। ऐसे में इन जिलों को कांग्रेस के लिए सुरक्षित नहीं माना जा रहा।

नागौर स्पष्ट रूप से हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के खाते में जाता दिख रहा है। यहां बहुमत के लिए 19 सीट चाहिए, जो आरएलपी के पास हैं और भाजपा व कांग्रेस के पास क्रमश: 7 और 11 सीटें है। ऐसे में दोनों ही दलों को अपना बोर्ड बनाने के लिए आरएलपी में बड़ी तोड़फोड़ करनी होगी, जो बेनीवाल के गढ में शायद ही सम्भव हो पाए। जिला प्रमुख चुनाव के लिए बुधवार सुबह 10 बजे जिला परिषद सदस्यों की बैठक होगी। सुबह 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी और दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद, चुनाव चिह्न आवंटित होंगे। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। पंचायतीराज चुनाव में दल-बदल विरोधी कानून और पार्टी व्हिप लागू नहीं होने के कारण सदस्य दूसरी पार्टी के पक्ष में भी मतदान कर सकते हैं। ऐसे में स्पष्ट बहुमत वाली पार्टियों के सामने भी अपने सदस्यों को एकजुट रखने की चुनौती बनी हुई है।

युवती ने पुलिसकर्मी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया कि उसे जयपुर में रहते हुए 20 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन इस घटना के बाद से वह मानसिक रूप से परेशान है और दो दिन से रो रही है। उसका कहना है कि वह पैसिफिक मॉल के सामने ऑटो में बैठी थी, तभी एक कार उसका पीछा करने लगी। युवती ने आरोप लगाया कि कार पुलिस की थी और उसमें मौजूद कांस्टेबल ने ऑटो चालक से उसका मोबाइल नंबर मांगने को कहा।

पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो के संबंध में जानकारी ली जा रही है। मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। युवती की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

हाई कोर्ट ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने को कहा था। अदालत ने कहा कि छह साल बीतने के बाद अभी इस इस संबंध में कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया है। ऐसे में मुख्य सचिव पर हर्जाना लगाना उचित है।

याचिका में कहा गया कि साल 1986 में शहर में पहला फैमिली कोर्ट खुला था। तीन दशक बीतने के बाद भी यहां सुविधाओं का अभाव है। यहां आने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था और कैंटीन व टॉयलेट की सुविधाओं का भी अभाव है। गौरतलब है कि मामले की सुनवाई के दौरान 20 जुलाई, 2018 को तत्कालीन मुख्य सचिव ने अदालत में पेश होकर कोर्ट को आश्वस्त किया था कि फैमिली कोर्ट में अगले दो माह में सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी।

कार्तिक पूर्णिमा पर 38 लाख लोगों ने हरिद्वार में गंगा स्नान किया

ब्रह्म मुहूर्त में शुरु हुआ स्नान का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा

हरिद्वार, 24 नवंबर। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मंगलवार को उत्तराखंड में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश और प्रदेश के अन्य प्रमुख गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार में ही मंगलवार शाम तक 38 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित किया।

देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु हरकी पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड समेत, सभी प्रमुख घाटों पर पहुंचे। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान का सिलसिला शुरू हो गया था, जो दिनभर जारी रहा। पुलिस कप्तान नवनीत सिंह के अनुसार, मंगलवार शाम छह बजे तक 38 लाख 90 हजार श्रद्धालु गंगा स्नान कर चुके हैं। अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद दान-पुण्य किया और मंदिरों में पूजा-अर्चना की। स्नान के बाद घाटों पर दीपदान की परंपरा भी निभाई गई। घाटों के साथ ही मंदिरों और बाजारों में भी दिनभर चहल-पहल बनी रही। कार्तिक पूर्णिमा का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। इस विजय की खुशी में देवताओं ने दीपोत्सव मनाया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार धारण किया था। इस कारण कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और दान का विशेष फल मिलता है। कार्तिक माह को भगवान विष्णु और शिव, दोनों का प्रिय माह माना जाता है।

- श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद दान-पुण्य किया, मंदिरों में पूजा-अर्चना की तथा घाटों पर दीप दान की परम्परा भी निभाई।

'शेख हसीना को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को 5 अगस्त 2024 को बाँग्लादेश के विमान से भारत लाया गया था, इसलिए अब वे सरकार से मांग करती हैं कि दिल्ली से ढाका लौटने के लिए उनकी हवाई यात्रा की व्यवस्था की जाए।''

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनकी वापसी की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें देश से बाहर रहने के लिए मजबूर करना संविधान के विरुद्ध है।

लेकिन कबीर ने इस मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने ''रॉयटर्स'' से कहा कि ''हसीना एक दोषी अपराधी और फरार आतंकवादी हैं, और ढाका उनकी इस ''कल्पनिक मांग'' पर विचार नहीं करेगा।

इस बीच, बाँग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों और आगजनी की घटनाओं के कारण स्थिति अराजक होती जा रही है। सत्तारूढ बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन घटनाओं के लिए हसीना की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है।

बाँग्लादेश की नैशनल सिटिज़न पार्टी के नेता और सांसद नाहिद इस्लाम ने सोमवार को बाँग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की और सभी राजनीतिक दलों से ''भारतीय वर्चस्व'' के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। भारत पर यह हमला इसलिए किया गया है, क्योंकि उसने हसीना को निर्वासन के दौरान रहने की जगह दी थी।

नाहिद ने कहा, ''भारत एक हत्यारे को शरण दे रहा है और एक समूह को बांग्लादेश के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहा है। अब हमारी लड़ाई अवामी लीग से नहीं है, बल्कि भारतीय वर्चस्व के खिलाफ है। हमने 5 अगस्त को ही अवामी लीग को हरा दिया था।''

वहीं, ''ढाका ट्रिब्यून'' ने खबर दी है कि इंटरनैशनल क्राइम्स ट्रिब्युनल के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाने के लिए विमान की मांग को ''सिर्फ पागलपन'' बताया।

हादसे में चार बच्चों की मौत, 25 बच्चे गंभीर रुप से घायल

कन्नौज (उत्तर प्रदेश), 24 नवंबर। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में चार स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जबकि 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा ठठिया थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 210 के पास सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। आगरा से पिकनिक मनाकर लौट रही कौशांबी के ओरिएंटल पब्लिक स्कूल की बस को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।

आज से शुरु होगा भारत-नेपाल का संयुक्त युद्ध अभ्यास

काठमांडू, 24 नवंबर। भारत और नेपाल के बीच रक्षा एवं सैन्य सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से दोनों देशों की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य किरण' आयोजित होने जा रहा है। इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी नेपाल पहुंच चुकी है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच यह संयुक्त अभ्यास 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2026 तक नेपाल में आयोजित किया जाएगा। नेपाल के रुपन्देही जिले के सालझंडी स्थित नेपाली सैनिक बैटल स्कूल में होने वाले इस अभ्यास में भारतीय सेना की 12 कुमाऊं रेजिमेंट और नेपाली सेना की ओर से ज्वालादल गण के सैनिक हिस्सा लेंगे। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का 20वां संस्करण है।

संयुक्त अभ्यास 'सूर्य किरण' के दौरान, दोनों देशों के सैनिक एक-दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न सैन्य गतिविधियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, सैन्य कौशल, पेशेवर दक्षता और संयुक्त रूप से अभियान संचालित करने की क्षमता को मजबूत करना है।

इस तरह के संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के सैनिकों को एक-दूसरे की सैन्य कार्यप्रणाली, रणनीतियों और ऑपरेशनल अनुभवों को समझने का अवसर मिलता है। साथ ही, संयुक्त रूप से किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से निपटने की क्षमता विकसित करने में भी मदद मिलती है।

भारत और नेपाल के बीच वर्ष 2010 से हर साल संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य किरण' आयोजित किया जा रहा है।

तीन नेपालियों को 45 दिन बंधक बनाकर रखा

नई दिल्ली/काठमांडू, 24 नवंबर। विदेश में अच्छी नौकरी और बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर, सर्बिया भेजने के बहाने दिल्ली लाकर नेपाल के तीन नागरिकों को करीब 45 दिन तक एक होटल के कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। नेपाल पुलिस, नेपाली दूतावास, दिल्ली पुलिस और एक सामाजिक संस्था के संयुक्त प्रयास से तीनों को सुरक्षित मुक्त करा लिया गया। सगरमाथा पर्वतारोही कल्पना महर्जन के अनुसार, तीनों नागरिकों को सर्बिया में रोजगार दिलाने का प्रलोभन देकर नई दिल्ली पहुंचाया गया।

भाजपा ने चुपचाप,...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अकाली दल का संयुक्त गठबंधन एक मजबूत विकल्प के रुप में सामने आया है, जो आम आदमी पार्टी सरकार से नाराज मतदाताओं को एकजुट कर सकता है और कांग्रेस के पारंपरिक जनाधार को भी प्रभावित कर सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए अब चुनौती यह है कि वह शासन, नशीले पदार्थों की समस्या और ग्रामीण संकट से जुड़े अपने कामकाज का बचाव कैसे करती है।

दोनों दलों के बीच फिर से समझौता होने के कई कारण रहे हैं। अकेले चुनाव लड़ने पर दोनों दलों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। जमीनी सर्वेक्षणों से संकेत मिला कि अलग-अलग चुनाव लड़ने पर दोनों में से कोई भी दल मजबूत स्थिति में नहीं था, लेकिन साथ मिलकर वे एक ऐसा विजेता गठबंधन बन सकते हैं, जो ''आप'' के खिलाफ मौजूद नाराज़गी के वोटों को अपनी ओर खींच सके। जिन कृषि कानूनों के कारण इस दोनों का गठबंधन 2022 में टूटा था, वे काफी समय पहले वापस लिये ही जा चुके हैं। इससे दोनों दलों के बीच मतभेद का मुख्य कारण भी खत्म हो गया।

आज की यह घोषणा कई महीनों की गुप्त बातचीत के बाद हुई है। नितिन नबीन और सुखबीर बादल ने पिछले तीन महीनों के दौरान गठबंधन की रूपरेखा तैयार करने के लिए कई बार बातचीत की। कई सर्वेक्षणों के नतीजे प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ साझा किए गए। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी गठबंधन बनाने पर जोर दिया था। इसके बाद अमित शाह ने सुखबीर बादल के साथ कई बैठकें कीं और मतभेद दूर करने की कोशिश की। इनमें अकाली दल की यह मांग भी शामिल थी कि गठबंधन में उसकी वरिष्ठ सहयोगी की भूमिका बनी रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 8 दिसंबर को मोगा में होने वाली रैली में शामिल होने का निर्णय काफी अहम माना जा रहा है। यह रैली पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल की जयंती के अवसर पर आयोजित की जा रही है। गठबंधन बहाल होने के बाद, यह आयोजन दोनों दलों के पुन: गठजोड़ को दर्शाने वाला पहला बड़ा संयुक्त सार्वजनिक कार्यक्रम होगा।

जहर पीकर युवती...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनके सामने ही जहर पी लिया। इसके बाद वह शिकायत देने के लिए थाने पहुंच गई। पुलिस को युवती के बैग से जहर की बोतल भी मिली है। फिलहाल एसएमएस अस्पताल में उसका उपचार जारी है। तबीयत में सुधार होने के बाद पुलिस युवती के बयान दर्ज करेगी।

सांगानेर में तोड़फोड़...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाकर की, जिसमें राज्य सरकार ने नगर निगम को आदेश दिए थे कि वह कच्चे-पक्के सभी मकानों को नियमित करते हुए पट्टे जारी करेगी। इस पूरे प्रकरण को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खसरा नंबर 403 पर बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए, नगर निगम व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किए है।

महादेव सट्टा ऐप : ईडी को दिल्ली के वकील का 28 नवम्बर तक का रिमांड मिला

इस हाई प्रोफाइल मामले में रायपुर की विशेष अदालत ने आधी रात तक सुनवाई की

रायपुर, 24 नवंबर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, दिल्ली के अधिवक्ता हिमांशु शेखर उर्फ मोहित को गिरफ्तार किया है। रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में पहली बार आधी रात तक सुनवाई करते हुए आरोपी अधिवक्ता को 28 नवंबर तक ईडी की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, महादेव ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को 13 से 19 नवंबर के बीच रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी, जिसमें हिमांशु शेखर की भूमिका सामने आई। आरोप है कि हिमांशु पिछले तीन सालों में कई बार दुबई गया और वहां सौरभ चंद्राकर से मुलाकात की। उसने महादेव ऐप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ चल रहे सभी आपराधिक मामलों को रफा-दफा कराने का भरोसा दिलाया था। हिमांशु के देश छोड़कर भागने की आशंका पर ईडी ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। 20 नवंबर को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई जाते समय इमिग्रेशन ने उसे रोक लिया, जिसके बाद 21 नवंबर तड़के ईडी ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि, मुंबई की पीएमएलए अदालत ने 24 घंटे के नियम का हवाला देते हुए ट्रांजिट रिमांड खारिज कर दी थी।

- ईडी ने अदालत को बताया कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का अवैध संचालन अब भी जारी है, जिसमें कुल आय 92 हजार करोड़ रूपए से अधिक होने का अनुमान है। आज दिल्ली के अधिवक्ता ने राहत दिलाने के नाम पर कथित तौर पर 75 करोड़ रूपए लिये।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908